राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांकः एफ 61(19) ग्रा.वि/म.न./नि.सा.अं./वसूली/09–10/2324-2433 दिनांकः 20/5/10

समस्त जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक (महानरेगा),
राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान के अन्तर्गत कार्यकारी पंचायती राज संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताओं/अन्य कारणों के आधार पर दर्शाई गई राशि की वसूली समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, राजस्थान के तहत कार्यों के संचालन, अभिलेख के संधारण, निर्माण–सामग्री एवं अन्य सामग्री की क्रय–प्रक्रिया की विस्तृत जाँच राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों द्वारा करने पर यह ध्यान में आया है कि विभिन्न कार्यकारी एजेन्सियों, जिनमें प्रमुख रूप से ग्राम पंचायतें हैं, द्वारा महानरेगा, 2005 के सुस्पष्ट प्रावधानों एवं तदनुरूप इस विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किए गए दिशा–निर्देशों की पालना पूर्णतः नहीं करने के कारण अनेक वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ हुई हैं तथा अनेक प्रकरणों में राजकीय राशि का दुरूपयोग हुआ है। विशिष्ट जाँचों के फलस्वरूप सामने आई वित्तीय अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार कार्मिकों एवं लोक सेवकों को चिन्हित कर उनसे राजकीय राशि वसूल करने एवं उनके विरूद्ध कानूनी एवं अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु संबंधित जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पूर्व में जारी किए गये निर्देशानुसार कुछ जिलों में राशि की वसूली भी हुई है तथा दोषियों के विरूद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई भी प्रारम्भ हुई है, परन्तु अभी भी विशेष जॉच प्रतिवेदनों के अनुसार राशि वसूल करने के अनेक प्रकरण शेष है इन प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई करते हुए शीघ्र राशि वसूल किया जाना आवश्यक है।

जॉच प्रतिवेदनों में जिलेवार दर्शायी गयी प्रक्रियात्मक त्रुटियों एवं वित्तीय अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण सुलभ संदर्भ हेतु आपको भेजा जा रहा है। कृपया आपके जिले से सम्बन्धित मामलों में शीघ्र वसूली करावें एवं इस तरह की अनियमितता रोकने हेतु आपके स्तर से ठोस कदम उठावें ताकि भविष्य में राजकीय राशि का दुरूपयोग न हो सकें।

राजकीय राशि की नियमानुसार वसूली हेतु यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 9(4) राजस्व/ग्रुप–6/05/20 दिनांक 8.8.2005 एवं परिपत्र क्रमांक– एफ(14) पंरावि/विधि/पीआरएक्ट/05 क्रमांक 3895 दिनांक 27.12.2005 के अनुसार पंचायत राज संस्थाओं के लोकसेवकों, कार्मिकों एवं अन्य किसी भी संबंधित बाकीदार से राजकीय राशि वसूल करने के लिए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अध्याय 10 की धारा 229,230,234 एवं 238 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भुगतान, जमा, वापसी एवं वसूली) नियम, 1958 के नियम, 24 के अधीन कलक्टर पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन तथा उनको प्रदत्त शक्तियों एवं वसूली अधिकारों के प्रत्यायोजन में, धारा 111 (2)(9) पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत जिला परिषद् के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी हैं।

अतः अनुरोध है कि आप अपने जिले की समस्त पंचायत समितियों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना की क्रियान्विति में पाई गई वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के फलस्वरूप दर्शाई गई राशि की वसूली के लिए संबंधित लोक सेवकों/कार्मिकों के विरूद्ध उपर्युक्त कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् के स्तर पर वसूली प्रकरण दर्ज करवाकर शीघ्रातिशीघ्र राशि वसूल कराये जाने का कष्ट करें तथा वसूली प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए इसकी प्रतिमाह समीक्षा करें और समीक्षा उपरान्त प्रगति अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से संलग्न

प्रारूप में मुझे एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग को प्रेषित करें। इसकी एक प्रति निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण को भी पृष्ठांकित की जावे।

वसूली कार्रवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानानुसार निर्धारित किये गये वसूली नोटिस, कुर्कीवारन्ट एवं विक्रय की उद्घोषणा के प्रारूप सुलभ संदर्भ एवं उपयोग हेतु संलग्न किए जा रहे हैं।

भवदीय,

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

15.10.15

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव,
ईजीएस

क्रमांकः एफ 61(19) ग्रा.वि/म.न./नि.सा.अं./वसूली/09–10/2324-2433 दिनांकः 20.5.10

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग
4. सचिव, ग्रामीण विकास
5. आयुक्त एवं शासन सचिव, ई.जी.एस
6. अतिरिक्त आयुक्त, ई.जी.एस, प्रथम/द्वितीय, राजस्थान, जयपुर
7. परियोजना निदेशक, ई.जी.एस., राजस्थान, जयपुर
8. समस्त सचिव/उपशासन/परियोजना निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान
10. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, समस्त राजस्थान

निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण

EE(V)